संख्या-46/2024/2072/77-6-2024-2(जनरल)/2023

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2024**

विषयः उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-334/IUP/SKS/2024-25 दिनांक 24.06.2024 एवं ईमेल दिनांक 3.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित मेगा श्रेणी/सुपर मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार-विमर्श किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रस्तावित औद्योगिक इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं	कंपनी	श्रेणी/क्षेत्र	प्रस्तावित निवेश (₹ करोड़)	अनुरोधित प्रोत्साहन (₹ करोड़)	आवेदन की तिथि	मूल्यांकन समिति कि बैठक की तिथि
1.	बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मेगा/गौतम बुद्ध नगर	410.52	पूंजीगत सब्सिडी	18.01.2024	28.03.2024
2.	आरएलजे मिनरल प्राइवेट लिमिटेड	मेगा/पूर्वांचल	274.86	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	30.09.2023	01.12.23 08.01.24
3.	रेडिको खेतान लिमिटेड	सुपर-मेगा/मध्यांचल	591.14	पूंजीगत सब्सिडी	25.08.2023	17.10.23 08.01.24
4	बिंदल पेपर मिल्स लि.	मेगा	497.45	पूंजीगत् सब्सिडी	19.02.2024	08.05.2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	बरेली डेयरीज़ लि.	मेगा	308.73	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	22.03.2024	08.05.2024

2- उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत स्थिति पायी गई:-

(1) बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(अ) बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 410.52 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश (गौतम बुद्ध नगर) में माइल्ड स्टील, स्पेशलाइज्ड और हाई कार्बन तार का उत्पादन करने के लिए अपनी प्रस्तावित नई उत्पादन इकाई हेतु 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प' (मेगा श्रेणी) के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है।

(ब) इस प्रकरण में नोडल एजेन्सी स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकार्य पूंजी निवेश और पात्र पूंजी निवेश की गणना के लिए निम्नलिखित शीर्षों में सन्निहित धनराशि को अर्ह नहीं पाया गया-

विवरण	राशि (₹ करोड़)	टिप्पणी
प्रस्तावित निवेश	410.52	
नीति के प्रस्तर 12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत घटाए गए अस्वीकार्य शीर्ष	(25.32)	स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क = 1.45 करोड़ रुपये संचालन-पूर्व व्यय = 1.5 करोड़ रुपये आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान = 3.25 करोड़ रुपये निर्माण अवधि के दौरान ब्याज = 18.12 करोड़ रुपये प्रक्रमण शुल्क = 1 करोड़ रुपये
कुल पूंजी निवेश *	385.20	
प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत घटाई गई अस्वीकार्य भूमि एवं भवन की लागत	(32.49)	प्रस्तावित भूमि एवं भवन लागत = रु. 148.04 (कुल पूंजी निवेशका 38.43%) कुल पूंजी निवेश के 30% अर्थात 115.56 तक सीमित होगी।
पूंजी निवेश *	352.72	
प्रस्तर 12.1.10 के अंतर्गत प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए निवेश की घटाई गई राशि	(35.74)	04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि 37.89 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.15 करोड़ रुपये (1.32 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी और 0.13 करोड़ रुपये पंजीकरण शुल्क और 0.23 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		रुपये संचालन-पूर्व व्यय तथा 0.47 करोड़ रुपये निर्माण अवधि के दौरान ब्याज है) एवं उपरोक्त पूंजी निवेश की गणना में पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया है।
पात्र पूंजी निवेश#	316.98	
#आवेदक ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 की धारा 12.3.1.3 के अनुसार रोजगार बूस्टर के लिए आवेदन किया है।		

पात्र पूंजी निवेश के सभी आंकड़े अंतिम रूप से भौतिक सत्यापन के अधीन है।

(2) आरएलजे मिनरल प्राइवेट लिमिटेड

(अ) आरएलजे मिनरल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 274.86 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) के मिर्जापुर जनपद में 210000 टीपीए स्पंज आयरन, 120000 टीपीए बिलेट एवं टीएमटी बार के विनिर्माण सहित सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट की अपनी 'विस्तार' परियोजना के लिए 'शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' विकल्प हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

(ब) इस प्रकरण में मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकार्य पूंजी निवेश और पात्र पूंजी निवेश की गणना के लिए निम्नलिखित शीर्षों में सन्निहित धनराशि को अर्ह नहीं पाया गया-

विवरण	राशि (₹ करोड़)	टिप्पणी
प्रस्तावित निवेश	274.86	
नीति के प्रस्तर 12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत घटाए गए अस्वीकार्य शीर्ष	(26.64)	विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परामर्श - 0.50 करोड़ संचालन-पूर्व व्यय - 2.00 करोड़ आकस्मिक व्यय, सुरक्षा जमा-3.24 करोड़ कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी - 5 करोड़ निर्माण अवधि के दौरान ब्याज -15.80 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क-0.50 करोड़
कुल पूंजी निवेश*	248.22	
प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत घटाई गई अस्वीकार्य भूमि एवं भवन की लागत	-	प्रस्तावित भूमि एवं भवन लागत = रु. 29.25 (कुल पूंजी निवेश का 11.78%) कुल पूंजी निवेश के 30% अर्थात पूर्ण राशि विचारित की जाएगी
पूंजी निवेश*	248.22	
प्रस्तर 12.1.10 के अंतर्गत प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए निवेश की	शून्य	नीति की प्रभावी तिथि 04.11.2022 से पूर्व कोई निवेश नहीं किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

घटाई गई राशि		
पात्र पूंजी निवेश*	248.22	
*सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं		

(स)आवेदक द्वारा शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट/2023-24/212/राज्य कर दिनांक 25 जुलाई, 2023 द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें, तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु शुद्ध एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया लागू होगी।

(3) रेडिको खेतान लिमिटेड

(अ) रेडिको खेतान लिमिटेड द्वारा 591.14 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश (मध्यांचल) में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) और इथेनॉल के विनिर्माण की अपनी 'विविधीकरण' परियोजना के लिए 'पूंजीगत सब्सिडी' विकल्प हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है।

(ब) परियोजना लागत में निम्नलिखित घटकों को अपात्र माना गया, अतः कुल पूंजी निवेश की गणना में प्रस्तावित पूंजी निवेश (सीआई) से घटा दिया गया -

क्रसं	**विवरण**	**राशि (₹ करोड़)**
1	प्रस्तावित निवेश	591.14
2	घटाया गया : अन्य-कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर (संयत्र व मशीनरी के शीर्ष के अंतर्गत)	5.04
3	घटाया गया: यात्रा एवं आवासन : (किसी अन्य लागत के अंतर्गत)	25.22
4	घटाया गया: प्रशासन एवं संयत्र प्रारंभ करने की लागत: (किसी अन्य लागत के अंतर्गत)	13.24
5	घटाया गया: परामर्श, वेतन, भर्ती, अन्य: (किसी अन्य लागत के अंतर्गत)	10.54
6	घटाया गया: भूमि लागत (बॉटलिंग इकाई को आवंटित) **	0.51
7	घटाया गया: स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क	3.12
कुल पूंजी निवेश (टीसीआई)		**533.47**

(अ) निम्नलिखित भूमि घटकों की निम्नवत स्थिति पाई गई-

i. चूंकि परियोजना आवेदक के नाम (लगभग 10 एकड़) तथा उसकी 8-स्टेप डाउन सहायक कंपनियों (लगभग 94.21 एकड़) के नाम पर अर्जित भूमि पर स्थापित की गई है, उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 17.10.2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को संपन्न चतुर्थ मूल्यांकन समिति की बैठक में आवेदक को निर्देशित किया गया था कि सहायक कंपनियों के नाम पर पंजीकृत भूमि के पट्टे औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2.1.6 के अनुसार स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि से अधिक 3 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित किया जाए।

ii. आवेदक द्वारा दिनांक 16.10.2023 को 15 वर्ष की अवधि अर्थात् 16.10.2023 से 15.10.2038 तक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया। समिति को सूचित किया गया कि इकाई द्वारा पट्टा विलेख को निष्पादित करने से पूर्व निवेश पूर्ण कर लिया गया तथा वाणिज्यिक उत्पादन (दिनांक 18.09.2023 को) प्रारम्भ कर दिया गया है।

iii. यद्यपि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2.1.6 के अनुसार, इस प्रकार के पट्टे की अवधि स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि के उपरांत 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध होनी चाहिए। तदनुसार, आवेदक हेतु स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि वर्ष 2024 से 2036 तक 12 वर्ष है। अतः, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2.1.6 के अनुसार ऐसा पट्टा विलेख वर्ष 2024 से आरम्भ होकर 12+3 वर्ष 2039 तक वैध होगा। इसके उपरांत, दिनांक 08.01.2024 को आयोजित मूल्यांकन समिति की बैठक में ऐसी पट्टे वाली भूमि की लागत को पूंजी निवेश के रूप में विचारित नहीं किया जाना संस्तुत किया गया।

iv. उक्त हेतु उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा संस्तुति की गई कि चूंकि आवेदक द्वारा आवश्यक अवधि हेतु अपने नाम पर सम्पूर्ण भूमि पट्टे पर दे दी गई है, जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2.1.6 के अनुसार कुल 10 माह से कम है, **पूंजी निवेश की गणना करते समय ऐसी पट्टे वाली भूमि की लागत पर विचार किया जाना चाहिए,** अतः प्रस्तावित पूंजी निवेश के निर्धारण हेतु कुल पूंजीगत निवेश, पूंजीगत निवेश के समान होगा।

(ब) इसके अतिरिक्त, प्रभावी तिथि से पूर्व आवेदक द्वारा किए गए निवेश में कटौती करने पर पात्र पूंजी निवेश की संस्तुति निम्नानुसार की गई-

विवरण	**राशि(₹ करोड़)**
पूंजी निवेश	533.47
04.11.2022 से पूर्व घटाई गई निवेश राशि (भूमि को छोड़कर)	73.90
आवेदक के पास 04.11.2022 से पूर्व स्वामित्व वाली भूमि	0.70* (दिनांक-वार भूमि की रजिस्ट्री का विवरण ईमेल दिनांक 14.10.23 से प्राप्त हुआ)
पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई)	**458.87***

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(स) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद इकाई द्वारा किए गए निवेश की स्थित निम्नवत पाई गई है-

i. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि - 18.09.2023 से परियोजना पूर्णता की तिथि अर्थात 31.12.2024 तक निवेश 99.90 करोड़ रुपये है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

प्रभावी तिथि 04.11.2022 से पूर्व किया गया निवेश (₹ करोड़)	04.11.2022 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 18.09.2023 तक किया गया निवेश (₹ करोड़)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 18.09.2023 से परियोजना पूर्णता की तिथि अर्थात 31.12.2024 तक का निवेश (₹करोड़)
99.40	391.80	99.90

ii. इकाई द्वारा एकल चरण निवेश तथा परियोजना पूर्णता की तिथि 31.12.2024 घोषित की गई है, किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 18.09.2023 को प्रारंभ किया गया है, अतः औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रस्तर 12.1.11 लागू होगा, जिसके अनुसार 'वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के बाद, किन्तु 4/5/7/9 वर्षों (श्रेणी के आधार पर) के भीतर किए गए पूंजी निवेश की 10% से अधिक राशि को भी ईसीआई के रूप में माना जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में परियोजना श्रेणी वही रहेगी।'

iii. वाणिज्यिक उत्पादन के बाद कुल निवेश 99.90 करोड़ रुपये है, जो पूंजी निवेश से 10% अधिक है, अर्थात 458.87 करोड़ रुपये, अतः पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) को वाणिज्यिक उत्पादन के बाद किए गए पूंजी निवेश (अर्थात 45.88 करोड़ रुपये) के 10% तक सीमित रखा जाएगा (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.12 के अन्तर्गत)। अतः, एचएलईसी द्वारा निर्णय किया गया कि पात्र पूंजी निवेश को घटाकर 412.32 करोड़ रुपये 458.87-(99.9-53.35 करोड़) कर दिया जाएगा, जिसे स्वीकार्य प्रोत्साहनों की गणना करते समय विचारित किया जाएगा, अर्थात रोजगार, पारिस्थितिकी तंत्र एवं निर्यात बूस्टर के साथ मध्यांचल क्षेत्र में सुपर-मेगा श्रेणी के लिए पूंजीगत सब्सिडी (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.3.1 के अन्तर्गत)। ये आंकड़े संवितरण के समय वास्तविक निवेश के अनुसार भौतिक सत्यापन के अधीन होंगे।

(4) बिंदल पेपर मिल्स लि.

अ)बिंदल पेपर्स मिल्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद (पश्चिमांचल) में चीनी एवं इथेनॉल के विनिर्माण की अपनी नवीन इकाई के लिए ₹567.59 करोड़ के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रस्तावित निवेश के साथ 'पूंजीगत सब्सिडी' विकल्प के लिए एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

ब) इकाई द्वारा परियोजना पूर्ण कर ली गई है तथा दिनांक 08.12.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है एवं इकाई द्वारा किया गया वास्तविक निवेश ₹558.65 करोड़ है, जबकि मूल रूप से प्रस्तावित निवेश ₹567.59 करोड़ था।

स) इकाई के स्वीकार्य पूंजी निवेश एवं पात्र पूंजी निवेश की गणना हेतु निम्नलिखित कटौतियों की पुष्टि की गई-

विवरण	**धनराशि (₹ करोड़)**	**टिप्पणी**
वास्तविक निवेश	**558.65**	
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.6 व 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य शीर्षों की कटौती	(148.15)	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क = ₹ 1.2 करोड़ कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी= ₹ 29.94 करोड़ प्रारंभिक एवं संचालन-पूर्व व्यय = ₹ 5.96 करोड़ निर्माण अवधि के दौरान ब्याज = ₹ 16.26 करोड़ विविध अचल परिसंपत्ति =₹ 1.89 करोड़ आकस्मिकता =₹ 19.63 करोड़ जीएसटी =₹ 73.17 करोड़
कुल पूंजी निवेश *	**410.5**	
कटौतीः अस्वीकार्य भूमि व भवन लागत का समायोजन (प्रस्तर 12.1.6)	-	भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹ 73.87 करोड़* हैए जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 17.99% है एवं 30% की सीमा के अधीन है।
पूंजी निवेश *	**410.5**	
कटौतीः प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (प्रस्तर 12.1.10)	(8.93)	दिनांक 04.11.2022 से पूर्व किया गया निवेश ₹11.11 करोड़ है, जिसमें से समायोजित राशि ₹8.93 करोड़ है तथा ईसीआई की गणना के लिए कटौती की जानी है, जो भूमि में ₹3.7 करोड़, भवन लागत में ₹5.82 करोड़ तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत ₹0.3 करोड़ है।
पात्र पूंजी निवेश *	401.57	
*सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। आवेदक द्वारा रोजगार तथा पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर हेतु आवेदन किया गया है।		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) बरेली डेयरीज़ लि.

अ) बरेली डेयरीज लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली (पश्चिमांचल) में पशु आहार, घी, मक्खन, एसएमपी, यूएचटी दूध, यूएचटी क्रीम, पॉली पैक दूध, दही, छाछ आदि के उत्पादन के लिए प्रस्तावित नवीन उत्पादन इकाई हेतु 'शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' विकल्प के लिए एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है, जिसमें ₹308.73 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

ब) इकाई द्वारा स्वीकार्य पूंजी निवेश एवं पात्र पूंजी निवेश की गणना के लिए निम्नलिखित स्थिति पाई गई है-

विवरण	धनराशि(₹ करोड़)	टिप्पणी
वास्तविक निवेश	**308.73**	
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.6 व 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य शीर्षों की कटौती	(37.60)	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क = ₹0.31 करोड़ संचालन पूर्व व्यय = ₹12.95 करोड़ आकस्मिकता = ₹13.47 करोड़ जीएसटी घटक = ₹10.87 करोड़
कुल पूंजी निवेश *	**271.13**	
कटौतीः अस्वीकार्य भूमि व भवन लागत का समायोजन (प्रस्तर 12.1.6)	-	भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹ 65.41करोड़' हैए जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 24.12% है एवं 30% की सीमा के अधीन है।
पूंजी निवेश*	**271.13**	
कटौतीः प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (प्रस्तर 12.1.10)	(0.05)	दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि ₹0.06 करोड़ है, जिसमें से ₹0.01 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी है तथा इसको पहले ही पूंजी निवेश की गणना में अस्वीकार कर दिया गया है। अतः ₹0.05 करोड़ अस्वीकार किए जाएंगे।
पात्र पूंजी निवेश*	**271.08**	
*सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं।		

स) चूंकि आवेदक द्वारा शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट/2023-24/212/राज्य कर दिनांक 25 जुलाई, 2023 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें तथा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, अधिसूचना संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-2(एम)/2022 दिनांक 04.11.2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 एवं शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर-2 में वर्णित 05 औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

संख्या-46/2024/2072(1)/77-6-2024-2(जनरल)/2023तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।